न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.जेतसिंह पुत्र वगतसिंह 2.जुठसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपूत निवासी हरषावाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.मुकनसिंह पुत्र पोमसिंह 2.मोहब्बतसिंह पुत्र पोमसिंह 3.पहाडसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी हरषावाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 4.ग्राम पंचायत कूडा जरिये,सरपंच ग्राम पंचायत कूडा पचायत समिति रानीवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या **08/2017**

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत कूडा पंचायत समिति रानीवाडा मिसल संख्या 1 तारीख दायरा 05. 02.2008 तारीख फैसला दिनांक 26.04.2008 बाबत (विक्रय विलेख)संख्या 31 जो अप्रार्थी मुकनसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या 32 जो अप्रार्थी मोहब्बतसिंह के पक्ष में व विक्रय विलेख संख्या 33 जो अप्रार्थी पहाडसिंह के पक्ष में दिनांक 26.04.2008 को जारी किये गये।

....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1-श्री निखिल दवे अभिभाषक प्रार्थीगण

2-श्री तेजसिंह बालावत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3

3-सरपंच ग्राम पंचायत कूडा अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-15.10.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत कूडा विक्रय विलेख संख्या 31, 32, 33 दिनांक 26.04.2008 ग्राम पंचायत कूडा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब व दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्यो अनुसार प्रकरण यह है,कि ग्राम हरषावाडा ग्राम पंचायत कूडा के अधिन एक बसा हुआ गॉव है जिसमें एक पुश्तैनी आवासीय परिसर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो का सामलाती आया हुआ है जिसके पडौस निम्न प्रकार है:-पूर्व में:-खेताराम मोतीजी व समेलाराम मोतीजी का परिसर पश्चिम में:-आम रास्ता उत्तर में:-रवाराम मनरूपजी का परिसर दक्षिण में:-बाबुखां केसूखां एवं सरदार खां का परिसर स्थित है।जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण का बनता है उक्त आवासीय परिसर का विभाजन विधिक तौर पर कभी नही हुआ है।अप्रार्थी

संख्या 3 ने सयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जिस पर पत्रावली नंबर 1 दिनांक 05.02.2008 को कायम की गई एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में सहमति पत्र दर्शाते हुए पट्टे जारी किये गये जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण यह निगरानी निम्न आधारो पर पेश करते है। अप्रार्थी मुकनसिंह ने स्वंय के उत्तर में प्रार्थी जेतसिंह का पडौस दर्शाया है तथा इसी प्रकार मोहब्बतसिंह द्वारा भी अपने उत्तर में जेतसिंह का पडौस दर्शाया है तथा शपथ पत्र भी दिनांक 26.09.2006 के तस्दीक सुदा पेश किये गये है।उक्त शपथ पत्र नोटेरी रानीवाडा द्वारा तस्दीक किये गये है,परन्तु उस पर माफिक कानून नोटेरी स्टाम्प नही लगवाये गये है।जिससे उक्त एफिडेविट कानूनन पढे जाने योग्य नही है एवं 2006 के तस्दीक सुदा एफिडेविट पर देरी से प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जिसका कोई स्पष्टीकरण अप्रार्थीगण द्वारा नही दिया गया है।पत्रावली प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.02.2008 को पंचो की रिपोर्ट सहित पेश करने का आदेश पारित किया गया परन्तु किन पंचो को नियुक्त किया गया है इसका कोई उल्लेख आदेशिका दिनांक 05.02.2008 में नही है जिससे आदेश व पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है दिनांक 20.2.2008 को आपति ईश्तिहार किस तारीख को चस्पा किये गये उसका कोई तामीली रिपोर्ट में उल्लेख नही है उसके साथ ही वादग्रस्त परिसर पर चस्पा करने का कोई उल्लेख रिपोर्ट में नही है तत्कालीन सरपंच व उसके पति द्वारा गलत तरीके से कार्यवाही की हो जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा तामीली रिपोटो में भी गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है सहमति पत्र अप्रार्थीगण द्वारा फर्जी व कूट रचित बनाकर प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में प्रार्थी जेतसिंह द्वारा पुलिस थाना रानीवाडा में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसमें अनुसंधान विचाराधीन है तथा जेतसिंह का फर्जी अगुष्ठ निशान शपथ पत्र दिनांक 02.02.2008 पर होने की पुष्टी एफ.एस.एल रिपोर्ट से हो चुकी है तथा उसका शपथ पत्र शपथ आयुक्त नोटेरी से तस्दीक सुदा नही है स्वंय सरपंच से प्रमाणित किया जाना दर्शाया गया है जिससे आदेश जैर निगरानी एवं पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है।पंचायतीराज नियम 157 के तहत मात्र निर्मित मकानो के ही पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह के नाम जिन परिसरो के पट्टै जारी करना बताया है उसमें कोई ईमारत मौके पर बनी हुई नही है एवं पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट भी मौके की स्थिति के विपरित बनाई गई है जिससे आदेश निगरानी एवं पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है।पंचायततीराज अधिनियम धारा 97 में निगरानी हेतु कोई म्याद निर्धारित नही है।निगरानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार की है।आदेश जैर निगरानी व पट्टे हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।अत:निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर निगरानी व पट्टा संख्या 31, 32, 33 दिनांक 26.06.2008 निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है,कि निगरानी प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है।वास्तविकता यह है कि गांव हरषावाडा में अप्रार्थी मुकनसिंह, मोहब्बतसिंह, पहाडसिंह की पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि रबारियो के वास में आई हुई है जो कि अप्रार्थीगण के अलावा किसी की सामलाती भूमि नही थी जिस भूमि में ग्राम पंचायत कुडा द्वारा मुकनसिंह, पोमसिंह निवासी हर्षवाडा के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा 30 गुणा 45 का प्लॉट का पट्टा जारी किया।उपरोक्त प्लॉट के उत्तर दिशा में जैतसिंह पुत्र वगतसिंह का प्लॉट, दक्षिण दिशा में बाबू खां पुत्र कैसू खां वगैराह, पूर्व दिशा में समेला पुत्र मोती वगैराह, पश्चिम दिशा में मोहब्बतसिंह पुत्र पहाडसिंह वगैराह

व रास्ता का प्लॉट विधि अनुसार मुकनसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या 31 दिनांक 26.04.2008 को जारी किया गया व मोहब्बतसिंह पुत्र पौमसिंह जाति राजपूत निवासी हरषावाडा के पक्ष में ग्राम पंचायत कुडा द्वारा 30 गुणा 45 कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट के प्लोट का पट्टा संख्या 32 दिनांक 26.04.2008 को ग्राम पंचायत द्वारा प्लोट का मोहब्बतसिंह के पक्ष में जारी किया उत्तर दिशा में जैतसिंह पुत्र वगतसिंह दक्षिण दिशा में पहाडसिंह पुत्र नरपतसिंह पूर्व दिशा में मुकनसिंह पुत्र कौमसिंह व रास्ता पश्चिम दिशा में रास्ता उपरोक्त पडौसो का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार व नियमानुसार तमाम जांच कर मोहब्बतसिंह के पक्ष में जारी किया व विक्रय विलेख संख्या 33 ग्राम पंचायत कुडा द्वारा पहाडसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी हर्षवाडा के पक्ष में दिनांक 26.04.2008 को पट्टा जारी किया।उपरोक्त विक्रय विलेख पट्टे का 30 गुणा 45 कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट का जारी किया गया।जिसके पडौस उत्तर दिशा में मौहब्बतसिंह पुत्र पौमसिंह दक्षिण दिशा में रास्ता पूर्व दिशा में मुकनसिंह पुत्र पौमसिंह पश्चिम दिशा में रास्ता।उपरोक्त तीनो प्लोट के ग्राम पंचायत द्वारा मुकनसिंह व मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह के पक्ष में नियम 158 पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के नियमानुसार व विधि अनुसार पूर्ण जांचकर जारी किये तथा मौके पर मुकनसिंह मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह का अपने हिस्से पर पुश्तैनी कब्जा होने व निर्माण होने पर सही प्रकार से जांच कर ग्राम पंचायत ने जारी किये।निगरानी प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 2 यहा तक सही है कि अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली संख्या 1 दिनांक 05.2.2008 को ग्राम पंचायत कूडा में पेश गयी थी बाकि ईबारत गलत होने से अस्वीकार है।वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत ने तमाम जांचकर विधि अनुसार पक्षकारगण के बयान लेकर मौके की पूर्ण जांच कर ग्राम पंचायत द्वारा तीनो पट्टे नियमानुसार जारी किये गये है।जो कि पूर्णतया सही व सत्य है।निगरानी प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि जैतसिंह पुत्र वगतसिंह पडौसी है तथा विक्रय विलेख पट्टो की भूमि से जेतसिंह व जूठसिंह का कोई संबंध नही है।उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत की होने व अप्रार्थीगण का भूमि पर पुश्तैनी कब्जा होने से ग्राम पंचायत ने उपरोक्त भूमि के पट्टे अप्रार्थी मुकनसिंह मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह के पक्ष में जारी किये।उपरोक्त तीनो पट्टे विधिनुसार ग्राम पंचायत ने जारी किये।मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा होने व पुश्तैनी होने से नियमानुसार जांचकर ग्राम पंचायत ने जारी किये तथा ग्राम पंचायत स्वयं ने सहमति पत्र लिया तथा उपरोक्त सहमति पत्र को प्रमाणित भी ग्राम पंचायत के सरपंच सीता द्वारा किया तथा सहमति पत्र में कही भी जेतसिंह ने उपरोक्त भूमि को अपना नही बताया है तथा पुलिस जांच में भी यह बात मानी है कि जेतसिंह का उपरोक्त विक्रय विलेख ग्राम पंचायत के पट्टे वाली भूमि व विक्रय विलेख मुकनसिंह मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह को किया गया।उपरोक्त भूमि पर तीनो का कब्जा है।उपरोक्त प्लॉटो के पडौस के वर्णित अनुसार कब्जा है।तथा ग्राम पंचायत ने सही प्रकार से पट्टे जारी किये है तथा स्वतंत्र बयानो में भी यह बात आई है कि उपरोक्त विक्रय विलेख के पट्टो की भूमि पर अप्रार्थी मुकनसिंह, मोहब्बतसिंह, पहाडसिंह के पक्ष में पट्टे जारी किये जो सही है व मौके पर भौतिक रूप से कब्जा होने से जारी किये।निगरानी प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है।वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत ने विधिनुसार तमाम विधिक प्रक्रिया को अपनाकर ईश्तिहार की प्रक्रिया कर मौके की भौतिक जांच कर नियमानुसार पट्टे अप्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख अप्रार्थी मुकनसिंह,

मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह के हक में जारी किये।प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के बीच में दीवार का निर्माण कार्य हुआ है तथा पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थीगण का पुश्तैनी रूप से कब्जा है। जिसमें प्रार्थी का कोई संबंध नही है।अप्रार्थीगण द्वारा कोई कुटरचित दस्तावेज तैयार नही किये गये है तथा अनुसंधान मात्र से अप्रार्थीगण को मुल्जिम सिद्ध नही किया जा सकता।न्यायालय में संपूर्ण विचारण शेष है।प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच में मारपीट का अपराधिक मुकदमा संख्या 61/2013 पुलिस थाना रानीवाडा में दर्ज होने के कारण गलत तथ्य बताकर 9 वर्ष बाद बिना आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र मात्र अपराधिक रंजिश होने के कारण अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान की नियत से पेश की है।इस कारण निगरानी प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है।निगरानी प्रार्थना पत्र में फिकरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है।वास्तविकता यह है कि उपरोक्त विक्रय विलेख की भूमि पर अप्रार्थीगण के कच्चे पडवो का निर्माण किया हुआ है जो कि निर्माण करीब 35 वर्ष पुराना है जिसकी फोटो जबाब के साथ पेश है।ग्राम पंचायत ने मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार अप्रार्थी मुकनसिंह, मोहब्बतसिंह व पहाडसिंह के मौके पर भौतिक रूप से कब्जा है। कब्जा व मौके की स्थिति अनुसार अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा/विक्रय विलेख जारी किये।प्रार्थीगण उपरोक्त विक्रय विलेख से किसी प्रकार से प्रभावित नही है।तथा विक्रय विलेख से प्रार्थीगण का कोई संबंध नही है।मात्र रंजिस होने से गलत रूप से निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज है।निगरानी प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है।वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में तथ्यो को लेकर किसी भी प्रकार का वर्णन नही किया गया।निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद के बिन्दु पर भी काबिल खारिज है।अत:जबाब निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी मय खर्च खारिज फरमावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.04.2008 को अलग-अलग कुल तीन पट्टे जारी किये गये है।इन पट्टो में बतायी गई भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/2-1/2 हक व हिस्सा बनता है।क्योंकि यह भूमि दोनो पक्षो की पुश्तैनी थी।पट्टो में वर्णित भूमि का विधिक रूप से कभी भी विभाजन नही हुआ है।अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया जिसके संलग्न प्रार्थी जेतसिंह का शपथ पत्र सहमति का बताते हुए पट्टा जारी करने हेतु लिखा गया।आवेदन पत्र के साथ अप्रार्थीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो दिनांक 26.09.2006 को तैयार व तस्दीक किये हुये है।इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से करीब दो वर्ष पूर्व शपथ पत्र तैयार किये हुए है।जबकि पट्टे हेतु पत्रावली वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गई है।अप्रार्थीगणो द्वारा प्रार्थी जेतसिंह का जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रमाणित सरपंच ग्राम पंचायत कूडा द्वारा किया गया जबकि सरपंच को शपथ पत्र प्रमाणित करने के कोई अधिकार प्राप्त नही है।उक्त शपथ पत्र फर्जी होने का धारा 420 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच होने पर जेतसिंह का अंगुठा एफ.एस.एल रिपोर्ट अनुसार फर्जी मानकर चार्टशीट में तीनो अप्रार्थीगण को मुलजिम माना गया है। पट्टे जारी करने से संबंधित पत्रावली केवल खाली भू-खण्ड की है जिसमें मकान या निर्माण होने का उल्लेख नही है।राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 अनुसार पुराने गृहो का विनियतीकरण किये जाने का प्रावधान है जबकि उक्त जारी पट्टो में दर्शाये गये भू-खण्ड खाली है।

ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 05.3.2008 में जेतसिंह पुत्र वगतसिंह के शपथ पत्र का हवाला दिया है तथा दिनांक 20.3.2008 की ऑर्डरशीट में कच्ची मिट्टी दिवार खडी होना लिखा है।पट्टे एक ही प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा एक ही पत्रावली कायम कर अलग अलग व्यक्तियो को 30 गुणा 45 के तीन पट्टे जारी किये है जबकि तीनो व्यक्तियो के आवेदन पत्र अलग-अलग प्राप्त कर अलग-अलग पत्रावली कायम करने के बाद ही पट्टे जारी करने के कानूनी प्रावधान है।पट्टो में वर्णित भू-खण्ड पुश्तैनी होने से मौके पर आधे भाग पर हम प्रार्थीगण का कब्जा है।यदि उक्त भू-खण्ड पुश्तैनी नही होते तो प्रार्थी जेतसिंह के सहमत होने का शपथ पत्र अप्रार्थीगणो द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने की क्या वजह रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पट्टो में वर्णित भू-खण्ड हमारे पुश्तैनी व कब्जासुदा रहे है।अत:उपरोक्त तथ्यो के आधार पर निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर निगरानी व पट्टा संख्या 31,32,33 दिनांक 26.04.2008 को निरस्त करावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के तहत निगरानी 90 दिन में ही हो सकती है।जबकि अप्रार्थीगण के नाम जारी हुये पट्टो की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 2013 में ही हो चूकि थी।क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.02.2008 को कायम की गई पत्रावली में प्रार्थी जेतसिंह पुत्र वगतसिंह की ओर से दिनांक 05.03.2008 को प्रस्तुत हुये शपथ पत्र की जानकारी प्रार्थी जेतसिंह को होने पर वर्ष 2013 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना रानीवाडा में एफ.आई.आर.दर्ज करवाई गई थी।जिसे प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पैरा संख्या 4 में एडमिट किया है।प्रार्थीगण ने निगरानी के पैरा संख्या 6 में लिखा है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 में निगरानी हेतु कोई म्याद निर्धारित नही है।जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) में यह स्पष्ट है कि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय,उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी।इस आधार पर भी निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद के बिन्दु पर काबिल खारिज है।प्रार्थीगण उक्त तीन पट्टो को एक साथ चैलेन्ज कर रहे है तो इन्हे तीन आदेशो को भी अलग अलग चैलेन्ज करना चाहिये था, जो नही किया गया है।प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान एफ.एस.एल. रिपोर्ट का जिक्र किया गया है इस संबंध में निवेदन है कि एफ.एस.एल.रिपोर्ट संदेहास्प्रद होने से एफ.एस.एल दो बार हुई है तथा चार्जशीट में भी दो ओपीनियन है।हम अप्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण की यह सम्पति संयुक्त रही हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है और नही इस निगरानी में प्रस्तुत किया गया है।सम्पति संयुक्त होने के तथ्य को प्रार्थीगण सिंद्ध नही कर पाये है।विचाराधीन निगरानी में दर्शाये गये तीनो पट्टो के भू-खण्ड पर अप्रार्थीगण के मकान बने हुये है।इसके समर्थन में दिनांक 21.11.2017 को फहरिस्त दस्तावेज के साथ फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये है।प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के साथ मारपीट करने पर अप्रार्थीगण द्वारा फौजदारी मुकदमा किया गया जो धारा 307 आई. पी.सी. के तहत न्यायालय में विचाराधीन है।इस मुकदमें को विड्रोल करवाने की नियत से हम अप्रार्थीगण पर दबाब बनाने के लिए यह निगरानी बिना किसी साक्ष्यो के आधार पर पेश की गयी है। हमारे तीनो भू-खण्ड के पास में ही प्रार्थीगण का भू-खण्ड स्थित है।

जहां मौके पर पूर्व से ही बीच में दीवार बनी हुई होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने भू-खण्ड पर काबिज है।इस प्रकार पट्टा संख्या 31, 32, 33 में वर्णित भू-खण्ड पर अप्रार्थीगण ही काबिज होने से कब्जे संबंधी मौके पर कोई विवाद नही है।जेतसिंह का शपथ पत्र ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर लिया होगा।इससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है।इन सभी तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कुडा द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 31,32,33 दिनांक 26.04.2008 को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा है कि इन जारी पट्टों से संबंधित भूखण्ड प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर दोनों का हक व हिस्सा समान रूप से आधा-आधा है। तथा दोनों पक्ष काबिज भी है। ग्राम पंचायत कुडा द्वारा प्रार्थी संख्या 1 जेतसिंह का सहमति शपथ पत्र लेकर अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के नाम पट्टे जारी किये गये है। जबकि जेतसिंह द्वारा कोई शपथ पत्र तैयार कर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया गया तथाकथित यह शपथ पत्र फर्जी होने की संभावना पर जेतसिंह द्वारा पुलिस थाना रानीवाडा में परिवाद दर्ज करवाया गया। जिसमें अप्रार्थीगण को मुल्जिम माना गया है। अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में पटटे हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया। जिसके संलग्न स्वयं के शपथ पत्र वर्ष 2006 के तस्दीकशुदा प्रस्तुत किये है। ग्राम पंचायत कुडा द्वारा तीन अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पटटे जारी करने की कार्यवाही एक ही आवेदन पत्र पर एक ही पत्रावली कायम कर मौके पर कब्जे संबंधी रिपोर्ट बिना लिये ही भूखण्डों को खाली होना बताते हुये पुश्तैनी आबादी भूमि के पट्टे जारी किये गये है। जबकि पंचायती राज नियम 157 के तहत आबादी भूमि में पुराने गृह होने पर पट्टे जारी किये जाते है। इस आधारो पर निगरानी स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार बताया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय विलेख जारी करवाने हेतु दिनांक 05.02.2008 को एक संयुक्त रूप से ग्राम पंयायत कुडा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संलग्न अप्रार्थी मुकनसिंह, पहाडसिंह, मोहबतसिंह के तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर सरपंच ग्राम पंचायत कुडा द्वारा मिसल संख्या 1 दिनांक 05.02.08 कायम कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बाद उक्त विक्रय विलेख दिनांक 26.04.2008 को जारी किये गये है। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने से पूर्व आमजन को 30 दिन के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 20.02.2008 को इश्तिहार भी जारी किये गये थे, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर यह विक्रय विलेख जारी हुये है। विक्रय विलेख में वर्णित भूमि को प्रार्थीगण द्वारा दोनों पक्षों की संयुक्त संपत्ति होना कथन किया है। लेकिन इसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों में भूखण्ड का पडौसी प्रार्थी जेतसिंह को भी होना बताया है।तथा ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 1 की आदेशिका दिनांक 20.03.2008 में यह लिखा हुआ है कि आपत्ति इश्तिहार की एक माह की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त एक भी आपत्ति ग्राम पंचायत में प्राप्त नहीं होने के कारण सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तीनों जनों का भूखण्ड/मकान(कच्चे) पर पुश्तैनी कब्जा है, जो कई सालों से चला आ रहा है।

शपथ पत्र में दर्शाया कि आपसी बंटवारा भी कर लिया है। मौके पर अभी पुरानी कच्ची मिट्टी की दीवार खडी है।" इस आदेशिका के समर्थन में तीनों अप्रार्थी की ओर से फहरिस्त दस्तावेज दिनांक 21.11.17 के साथ फोटोग्राफ्स पेश किये गये है तथा जो कच्ची मिट्टी की दीवार होना कथन किया गया है वह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के भूखण्डों के मध्य बनी हुयी है।तथा दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण के तीनों भूखण्डों पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। जहां तक निगरानी अंदर म्याद शुमार किये जाने का प्रश्न है तो विक्रय विलेख वर्ष 2008 में जारी हुये जिसमें प्रार्थी जेतसिंह का शपथ पत्र फर्जी होने के आधार पर प्रार्थी जेतसिंह को जानकारी होने पर इनके द्वारा वर्ष 2013 में ही पुलिस थाना रानीवाडा में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तबसे प्रार्थी जेतसिंह को उक्त विक्रय विलेख के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी दिनांक 26.04.2008 को जारी हुये विक्रय विलेख के विरूद्ध यह निगरानी 9 वर्ष बाद दिनांक 26.04.2017 को प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के अनुसार किसी भी पारित आदेश के विरूद्ध नब्बे दिन के भीतर-भीतर निगरानी प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है। इसके आधार पर निगरानी अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य भी नहीं है। इस प्रकरण में दोनो पक्षों द्वारा आपराधिक मामले दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होना बहस के दौरान अवश्य बताया है, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज होकर विचाराधीन होने के तथ्यो के आधार पर इस निगरानी को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने में बल प्रदान नहीं किया जा सकता है। अत: निष्कर्ष रूप में वर्ष 2008 में जारी पट्टों बाबत वर्ष 2013 में स्वयं की स्वीकारोक्ति आधार पर प्रार्थीगण को जानकारी होने के बावजूद 6 वर्षो बाद निगरानी प्रस्तुत करने से स्पष्टत: म्याद बाहर है। गुणावगुण पर भी प्रार्थीगण उक्त भूमि पुश्तैनी रही हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है। कब्जा भी प्रार्थीगण का हो वह सिद्ध नहीं कर पाये है।

अत:उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने तथा म्याद बाहर होने से भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 13:26:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: